

**झारखंड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, रांची - 834001**

**विज्ञापन**

**आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि :- 31.08.2018**

**विज्ञापन संख्या- 05/2018**

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के पद पर बैकलॉग (Backlog) नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य के आरक्षित वर्गों के इच्छुक अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप ऑफ-लाईन (Offline) आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. वेतनमान :- 15,600-39,100 + AGP- 6,000 (अपुनरीक्षित)

2. i) उम्र गणना की तिथि-01.08.2018 होगी।

ii) अधिकतम उम्र सीमा :-

क्र० सं०	कोटि	कोटिवार उम्र सीमा	निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए कोटिवार उम्र सीमा
1	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11)	53 वर्ष	58 वर्ष
2	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति	55 वर्ष	60 वर्ष

नोट:- (i) Ph.D धारक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय होगी।

(ii) चयन प्रक्रिया के दौरान किसी स्तर पर यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक पदों के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की उम्र को प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. परीक्ष्यमान अवधि - न्यूनतम 01 वर्ष। असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन की स्थिति में परीक्ष्यमान अवधि अधिकतम 01 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।

4. रिक्तियों का विवरणी :-

Subject Code	Name of Department/ Subject	Ranchi University, Ranchi					Vinoba Bhave University, Hazaribagh					Sido Kanhu Murmu University, Dumka					Nilamber Pitamber University, Medininagar, Palamu					Kolhan University, Chaibasa					Grand Total				
		VR					VR				HR	VR					VR					VR									
		SC	ST	BC-I	BC-II	TOTAL	SC	ST	BC-I	BC-II	TOTAL	WO	SC	ST	BC-I	BC-II	TOTAL	SC	ST	BC-I	BC-II	TOTAL	SC	ST	BC-I	BC-II		TOTAL	SC	ST	BC-I
S-01	Anthropology	03	02	02	-	07	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08
S-02	Bangla	01	03	-	-	04	01	04	01	-	06	-	01	02	-	-	03	-	-	-	-	-	02	04	-	01	07	20			
S-03	Botany	04	04	01	-	09	02	07	02	-	11	-	01	03	-	-	04	01	03	-	-	04	02	01	01	-	04	32			
S-04	Chemistry	03	09	01	-	13	-	-	-	-	-	-	02	05	-	-	07	01	03	01	-	05	01	05	02	-	08	33			
S-05	Commerce	01	02	-	-	03	02	05	02	-	09	-	01	01	01	-	03	01	02	-	-	03	05	05	03	02	15	33			
S-06	Economics	04	06	-	-	10	03	06	02	-	11	-	01	-	02	-	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
S-07	English	05	10	01	01	17	06	13	04	01	24	01	01	07	01	-	09	01	04	01	01	07	03	08	02	01	14	71			
S-08	Geography	03	-	-	-	03	02	04	-	-	06	-	-	01	01	-	02	01	02	-	-	03	-	-	-	-	-	-	14		
S-09	Geology	01	04	-	01	06	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	08		
S-10	Hindi	03	03	01	-	07	01	08	03	-	12	-	02	04	02	-	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27		
S-11	History	-	-	-	-	-	03	06	03	-	12	-	-	04	-	-	04	01	04	01	-	06	01	01	02	01	05	27			
S-12	Home Science	-	-	-	-	-	01	01	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01	01	01	01	-	03	06			
S-13	Kurmali	01	01	-	01	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03		
S-14	Labour and Social Welfare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02		
S-15	Maithili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02		
S-16	Mathematics	02	05	-	-	07	01	10	01	-	12	-	02	05	01	-	08	01	02	01	-	04	03	05	02	-	10	41			
S-17	Nagpuri	03	04	-	-	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07			
S-18	Oriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	-	-	-	03	03			
S-19	Philosophy	03	05	01	-	09	-	-	-	-	-	-	01	05	01	-	07	01	02	01	-	04	01	03	-	-	04	24			
S-20	Physics	01	01	-	-	02	-	-	-	-	-	-	03	09	02	-	14	01	01	-	-	02	01	06	01	-	08	26			
S-21	Political Science	04	03	01	-	08	05	09	-	-	14	-	02	07	02	01	12	-	03	01	-	04	-	06	02	01	09	47			
S-22	Psychology	03	09	-	-	12	-	-	-	-	-	-	02	03	-	-	05	01	02	-	-	03	01	01	02	01	05	25			
S-23	Sanskrit	02	02	02	-	06	01	02	01	-	04	-	02	02	01	01	06	-	-	-	-	-	02	-	-	-	02	18			
S-24	Sociology	-	03	-	-	03	-	01	01	-	02	-	-	01	01	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07			
S-25	Statistics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01	02		
S-26	Urdu	02	05	-	01	08	02	05	01	-	08	-	01	01	01	-	03	-	01	-	-	01	-	02	-	-	02	22			
S-27	Zoology	02	02	-	-	04	03	07	02	-	12	-	01	05	02	01	09	-	01	01	-	02	02	02	02	01	07	34			
<b>Grand Total</b>		<b>51</b>	<b>83</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>148</b>	<b>33</b>	<b>88</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>145</b>	<b>01</b>	<b>23</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>03</b>	<b>116</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>08</b>	<b>107</b>	<b>566</b>			

**Note :** i. Subjects and Vacancies shown above may vary.  
ii. Horizontal Reservation is admissible within the Vertical Reservation.

**Abbreviations Explained :-**

- VR – Vertical Reservation
- HR – Horizontal Reservation
- SC – Scheduled Caste
- ST – Scheduled Tribe
- BC-I – Other Backward Class (Annexure – I)
- BC-II – Backward Class (Annexure – II)
- WO – Women

**5. अर्हता – Minimum Qualification for the appointment of Assistant Professor in Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce and Languages.**

- (i) A candidate should have throughout good academic record with minimum 55% marks at the Master's degree or equivalent (or equivalent grade) in the relevant subject. A relaxation of 5% may be provided at the Graduate and Master's level for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Differently-abled) Physically and Visually differently-abled)/Other Backward Classes (OBC) (Non-Creamy layer) categories for the purpose of eligibility and assessing good academic records during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.
- (ii) A candidate must have passed National Eligibility Test (NET)/Jharkhand Eligibility Test (JET) or equivalent test accredited by U.G.C.
- (iii) The candidates who have obtained Ph.D Degree on the basis of UGC prescribed Minimum Standard and Procedure Regulation 2009, as amended vide 2016 Regulations, shall be exempted from the requirement of minimum eligibilities of NET/JET.

"Provided further, the award of degree to candidates registered for the M.Phil./Ph.D programme prior of July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bylaws/ Regulations of the Institutions awarding the degree and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of NET/JET for recruitment and appointment of Assistant Professor in Universities/Colleges subject to the fulfillment of the following conditions :-

- (a) Ph.D degree of the candidate awarded in regular mode only;
  - (b) Evaluation of Ph.D thesis by at least two external examiners;
  - (c) Open Ph.D viva-voce of the candidate had been conducted;
  - (d) Candidate has published two research papers from his/her Ph.D work out of which at least one must be in refereed journal;
  - (e) Candidate has made at least two presentations in conferences/seminars, based on his/her Ph.D work.
  - (f) (a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor/Dean (Academic Affairs)/Dean (University instructions).
- (iv) NET/JET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/JET is not conducted.

**Note :** a. A relaxation of 5 % may be provided, from 55 % to 50 % of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September 1991.

b. Relevant grade which is regarded as equivalent of 55 % wherever the grading system is followed by a recognized University shall also be considered eligible.

**6. Mode of Selection: -**

- i. Selection will be made on the basis of academic qualifications, experience and performance in the interview.
- ii. Educational qualifications shall carry 75 marks, experience 5 marks and publication 5 marks out of a total of 85 marks allotted. The distribution of marks for academics and others are elaborated in **Appendix-A**.
- iii. Interview shall carry 15 marks.
- iv. Screening of the applications will be done in reference to the documents provided by the applicants. Marks will be allocated according to Schedule I to VII of the Appendix – A of the advertisement. On the basis of the allocated marks Merit List will be prepared and **three times** number of candidates for each post will be called for Interview.

## 7. आरक्षण का लाभ :-

- (i) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 6763 दिनांक- 05.08.2016 के अनुसार) को झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् हैं:-
  - (a) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :-  
झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-I में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
  - (b) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-II) :-  
झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-II (ननक्रीमीलेयर प्रमाण सहित) में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत वैध (Valid) एवं अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (iii) झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 7 (iii)(a) एवं (b) में उल्लेखित) इस विज्ञापन के साथ एवं आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Important Jharkhand Govt. Circular and Notices में उपलब्ध है।
- (iv) झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाणपत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न जाति प्रमाण पत्र से संबंधित विवरणी यथा प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि, अनुमंडल, जिला, राज्य एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा।
- (v) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- (vi) झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से अलग प्राधिकार यथा अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (vii) केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (viii) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति हेतु दिनांक-22.10.2008 से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ix) कोटि का निर्धारण आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी।
- (x) शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण में अनुमान्य नहीं होगा।
- (xi) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 7 (iii) (a) में उल्लेखित) से अलग निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (xii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि के अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 7 (iii) (b) में उल्लेखित) से अलग निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (xiii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

- (xiv) आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

**8. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम :-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the interview room, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
  - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
  - (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

**(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

**(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**9. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :-**

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210 x 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट-[www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई

संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें। मुद्रित/टंकित/छायाप्रति/स्कैन किया हुआ समर्पित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों का समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :-

(a) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम यथा सचिन कुमार इस प्रकार भरा जाय -

स	चि	न		कु	मा	र		
---	----	---	--	----	----	---	--	--

(b) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा - AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :-

A	M	I	T		K	U	M	A	R		R	A	M	
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--

- (c) उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
- (d) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।
- (e) अभ्यर्थी अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सकें।
- (f) यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें अन्यथा उसे क्रॉस (x) कर दें।
- (g) **अभिलेख सत्यापन** के समय आवेदन में किए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

#### 10. फोटोग्राफ :-

आवेदन पत्र पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

#### 11. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :-

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित प्रतियां दो सेट में अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :-
- Printed copy of Examination Fee Receipt.
  - Matriculation Certificate and Mark Sheet.
  - Intermediate Certificate and Mark Sheet.
  - Graduation Certificate and Mark Sheet.
  - Post Graduation Certificate and Mark Sheet.
  - NET/JET or Equivalent Test Passing Certificate.
  - M.Phil. Degree Certificate and/or Notification.
  - Ph.D. Degree Certificate and/or Notification.
  - If exemption of NET/JET or equivalent test accredited by UGC is claimed, then any of applicable documents mentioned below :-
    - Certificate issued by competent authority if Ph.D. Degree registration is done before 11.07.2009 as per clause 5 (iii) of the advertisement.
    - If Ph.D Degree is awarded on the basis of "UGC prescribed Minimum Standard and Procedure Regulation 2009, as amended vide 2016 Regulations" but is not mentioned

in the Ph.D. Degree Certificate and/or Notification then Certificate issued by competent Authority\* certifying that the Ph.D degree has been awarded on the basis of “UGC prescribed Minimum Standard and Procedure Regulation 2009, as amended vide 2016 Regulations”

- j) Caste Certificate in prescribed format as mentioned in the clause 7 of the advertisement.
- k) Certificate of Physical Disability issued by competent authority for claiming fee relaxation (If applicable).
- l) Post Ph.D. research experience Certificate issued by competent authority\*\* as per Sl. No. 1 of Schedule VI of Appendix-A of the advertisement.
- m) Post Ph.D. teaching experience Certificate issued by competent authority\*\* as per Sl. No. 2 of Schedule VI of Appendix-A of the advertisement.
- n) Publications related documents as per schedule VII of Appendix-A of the advertisement.
- o) OGPA/CGPA/Grade Points to percentage conversion document for 10<sup>th</sup> /Matriculation, 12<sup>th</sup>/Intermediate, Graduation and Post Graduation (If applicable).
- p) NOC (No Objection Certificate) issued by competent authority i.e. present Employer(If applicable).
- q) Aadhaar or other Personal Identification document.
- r) Any other documents as per the advertisement and information given in the application form.

\*Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor/Dean(AcademicAffairs)/Dean(University instructions).

\*\*Registrar/Principal/Head of Institution.

- (ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, विषय, विषय कोड (Subject code) एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

## 12. परीक्षा शुल्क :-

- (i) परीक्षा शुल्क **Credit Card/ Debit Card/ Internet Banking/ SBI Buddy/ SBI UPI/ Other Payment Mode(Challan)** के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किया जायेगा जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
- (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क **रु०-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट—
  - (a) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क **रु०-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
  - (b) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 2249 दिनांक- 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र विज्ञापन के साथ संलग्न है।
- (iv) अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

- (v) परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (vi) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।
- (vii) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

### 13. अन्य शर्तें :-

- (i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iii) साक्षात्कार आयोजन से पूर्व विज्ञापन में संशोधन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iv) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (v) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (vi) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (vii) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाणपत्र/अभिलेख (विज्ञापन की कड़िका-11(p) में उल्लेखित प्रमाण पत्र को छोड़) उपलब्ध कराए जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।
- (viii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही-सही सूचना प्रविष्ट करते हुए अनिवार्य रूप से प्रविष्ट किए गए सूचना अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न करेंगे।
- (ix) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में विश्वविद्यालयों के लिए क्रमवार दिये गये विकल्पों का निर्धारण मेधा क्रम के अनुसार किया जाएगा।

### 14. अंतिम तिथि :-

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों-हाथ (कार्य अवधि में) से इस प्रकार भेजे कि दिनांक-18.07.2018 से दिनांक-31.08.2018 अपराह्न 5:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
- (iii) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

### अनुलग्नक- i. APPENDIX-A

- ii. निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र
- iii. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि हेतु जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र (प्रपत्र-I)
- iv. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि हेतु जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र ( प्रपत्र-II/FORM-II)

ह0 / -

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।



**APPENDIX-A**

<b>Examination</b>	<b>Maximum Weightage</b>	<b>Schedule</b>
Matriculation	10	I
Intermediate	10	II
Graduation	18	III
Post Graduate	22	IV
Ph.D./NET/JET	15	V
Post Ph.D. Research/ Teaching Experience	05	VI
Publications	05	VII
<b>Total</b>	<b>85</b>	

**Note :** Conversion of Grade Points to percentage equivalent will be carried out as per the Conversion Formula laid down by the University concerned. However, where the Universities have not laid down the Conversion Formula the determination of marks for the academic merit and weightage shall be established on the basis of Schedule I to IV.

**Schedule-I**

Marks for the Examination at <b>Matric Level</b> (Based on 6 point scale)			
Sl.No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.5- 6.0	75 and above	10
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2
6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4
10	4.60	66	8.2
11	4.50	65	8.0
12	4.40	64	7.8
13	4.30	63	7.6
14	4.20	62	7.4
15	4.10	61	7.2
16	4.00	60	7.0
17	3.90	59	6.8
18	3.80	58	6.6
19	3.70	57	6.4
20	3.60	56	6.2
21	3.50	55	6.0
22	3.40	54	5.8
23	3.30	53	5.6
24	3.20	52	5.4
25	3.10	51	5.2
26	3.00	50	5.0
27	2.90	49	4.8
28	2.80	48	4.6
29	2.70	47	4.4
30	2.60	46	4.2
31	2.50	45	4.0
32	2.40	44	3.8
33	2.30	43	3.6
34	2.20	42	3.4
35	2.10	41	3.2
36	2.00	40	3.0
37	1.90	39	2.8
38	1.80	38	2.6
39	1.70	37	2.4
40	1.60	36	2.2
41	1.50	35	2.0

**Note :** If any candidate has percentage equivalent {or corresponding grade point} between two consecutive whole number percentages, then he/she will be assigned lower percentage or higher percentage mark depending upon whether the Percentage equivalent is less than 0.5 or 0.5 and above.

**Example :**

<u>Percentage Equivalent</u>	<u>Marks</u>
59	6.8
58	6.6
58.6	6.8
58.4	6.6

<u>Grade Point</u>	<u>Marks</u>
3.90	6.8
3.80	6.6
3.86	6.8
3.84	6.6

**Schedule-II**

Marks for the Examination at <b>Intermediate Level</b> (Based on 6 point scale)			
Sl.No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.5- 6.0	75 and above	10
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2
6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4
10	4.60	66	8.2
11	4.50	65	8.0
12	4.40	64	7.8
13	4.30	63	7.6
14	4.20	62	7.4
15	4.10	61	7.2
16	4.00	60	7.0
17	3.90	59	6.8
18	3.80	58	6.6
19	3.70	57	6.4
20	3.60	56	6.2
21	3.50	55	6.0
22	3.40	54	5.8
23	3.30	53	5.6
24	3.20	52	5.4
25	3.10	51	5.2
26	3.00	50	5.0
27	2.90	49	4.8
28	2.80	48	4.6
29	2.70	47	4.4
30	2.60	46	4.2
31	2.50	45	4.0
32	2.40	44	3.8
33	2.30	43	3.6
34	2.20	42	3.4
35	2.10	41	3.2
36	2.00	40	3.0
37	1.90	39	2.8
38	1.80	38	2.6
39	1.70	37	2.4
40	1.60	36	2.2
41	1.50	35	2.0

**Note :** If any candidate has percentage equivalent {or corresponding grade point} between two consecutive whole number percentages, then he/she will be assigned lower percentage or higher percentage mark depending upon whether the percentage equivalent is less than 0.5 or 0.5 and above.

**Example :**

<u>Percentage Equivalent</u>	<u>Marks</u>
59	6.8
58	6.6
58.6	6.8
58.4	6.6

<u>Grade Point</u>	<u>Marks</u>
3.90	6.8
3.80	6.6
3.86	6.8
3.84	6.6

**Schedule-III**

Marks for the Examination at <b>Graduation Level</b> (Based on 6 point scale)			
Sl.No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.5- 6.0	75 and above	18.0
2	5.40	74	17.5
3	5.30	73	17.0
4	5.20	72	16.5
5	5.10	71	16.0
6	5.00	70	15.5
7	4.90	69	15.0
8	4.80	68	14.5
9	4.70	67	14.0
10	4.60	66	13.5
11	4.50	65	13.0
12	4.40	64	12.5
13	4.30	63	12.0
14	4.20	62	11.5
15	4.10	61	11.0
16	4.00	60	10.5
17	3.90	59	10.0
18	3.80	58	9.5
19	3.70	57	9.0
20	3.60	56	8.5
21	3.50	55	8.0
22	3.40	54	7.5
23	3.30	53	7.0
24	3.20	52	6.5
25	3.10	51	6.0
26	3.00	50	5.5
27	2.90	49	5.0
28	2.80	48	4.5
29	2.70	47	4.0
30	2.60	46	3.5
31	2.50	45 and below	3.0

**Note :** If any candidate has percentage equivalent {or corresponding grade point} between two consecutive whole number percentages, then he/she will be assigned lower percentage or higher percentage mark depending upon whether the percentage equivalent is less than 0.5 or 0.5 and above.

**Example :**

<u>Percentage Equivalent</u>	<u>Marks</u>
59	10.0
58	9.5
58.6	10.0
58.4	9.5

<u>Grade Point</u>	<u>Marks</u>
3.90	10.0
3.80	9.5
3.86	10.0
3.84	9.5

**Schedule-IV**

Marks for the Examination at <b>Post Graduation Level</b> (Based on 6 point scale)			
Sl.No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.5– 6.0	75 and above	22.00
2	5.40	74	21.25
3	5.30	73	20.50
4	5.20	72	19.75
5	5.10	71	19.00
6	5.00	70	18.25
7	4.90	69	17.50
8	4.80	68	16.75
9	4.70	67	16.00
10	4.60	66	15.25
11	4.50	65	14.50
12	4.40	64	13.75
13	4.30	63	13.00
14	4.20	62	12.25
15	4.10	61	11.50
16	4.00	60	10.75
17	3.90	59	10.00
18	3.80	58	9.25
19	3.70	57	8.50
20	3.60	56	7.75
21	3.50	55	7.00
22	3.40	54	6.25
23	3.30	53	5.50
24	3.20	52	4.75
25	3.10	51	4.00

**Note :** If any candidate has percentage equivalent {or corresponding grade point} between two consecutive whole number percentages, then he/she will be assigned lower percentage or higher percentage Mark depending upon whether the percentage equivalent is less than 0.5 or 0.5 and above.

**Example :****Percentage Equivalent**

Percentage Equivalent	Marks
59	10.0
58	9.25
58.6	10.0
58.4	9.25

**Grade Point**

Grade Point	Marks
3.90	10.00
3.80	9.25
3.86	10.00
3.84	9.25

<b>Schedule-V</b>		
<b>Marks for Ph.D./NET/JET</b>		
<b>Sl. No</b>	<b>Grade Points</b>	<b>Marks</b>
1.	JRF Ph.D.	15.00
2.	Ph.D. as per 2009 UGC Regulation with NET/JET without JRF	12.00
3.	NET/JET without Ph.D.	9.00
4.	Ph.D. as per 2009 UGC Regulation without NET/JET	9.00
5.	Candidates registered for Ph.D. programme before 11.07.2009 as per provisions laid in Section 57 (2)(b) of JSU (Amendment) Act, 2017	9.00

<b>Schedule-VI</b>			
<b>Post-Ph.D. Research experience/Teaching experience to be claimed for appointment (the period required to acquire M.Phil. and/or the residency period to acquire Ph.D. degree shall not be considered as teaching experience) - Maximum 05 Marks</b>			
1	Post-Ph.D. research experience as postdoctoral fellow/Research Associate/ Research Scientist etc. in recognized University/ Institution in India or abroad.	1 mark for every 6 Months or 3 marks for every 1 year	Maximum 5 Marks
2	Teaching experience (as full-time ad hoc, temporary or permanent) in recognized University/College/Institution)	1 mark for every 6 Months or 3 marks for every 1 year	
<b>Note :</b> The period of time taken by candidates to acquire M.Phil. and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/research experience.			

<b>Schedule-VII</b>	
<b>Publication: Maximum 05 Marks</b>	
(i)	Published papers in UGC listed journals for API assessment: 1 mark per paper.
(ii)	Best paper/Poster award at a National/International Symposium/Conference: 1 mark/paper or poster.
(iii)	Books published by University, National Institutes / Standard publishers:
(a)	Authored Book : 1.25 mark/book
(b)	Co-authored Book : 1.00 mark/book
(c)	Chapter in Edited book : 0.75 mark/chapter

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. ....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष  
द्वारा विधिवत प्रमाणित  
उम्मीदवार का हाल का  
फोटो जो उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... आयु .....  
लिंग ..... पहचान चिन्ह ..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी  
निःशक्तता से ग्रस्त -

- क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फ़ोलिएज़)
- (I) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- (II) दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़
- (III) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित
- (IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)  
(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित  
(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
- (VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(I) बी-अंधापन

(II) पी बी - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(I) डी - बधिर

(II) पी डी - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती ।  
..... वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- |   |           |
|---|-----------|
| (I) एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।                | हाँ/नहीं  |
| (II) पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।     | हाँ /नहीं |
| (III) एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।                  | हाँ /नहीं |
| (IV) के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (V) बी - झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                           | हाँ /नहीं |
| (VI) एस - बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं।                           | हाँ /नहीं |
| (VII) एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।                   | हाँ /नहीं |
| (VIII) डब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।                 | हाँ /नहीं |
| (IX) एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                        | हाँ /नहीं |
| (X) एच - सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।             | हाँ /नहीं |
| (XI) आर.डब्ल्यू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।  | हाँ /नहीं |

(डॉ .....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ .....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ .....)

अध्यक्ष

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,  
(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।



## झारखण्ड सरकार

प्रपत्र-1

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र  
(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :-

तिथि :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ..... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .....  
डाकघर ..... थाना ..... जिला .....  
राज्य ..... अनुसूचित जाति \*/ अनुसूचित  
जनजाति \* श्रेणी के अन्तर्गत ..... जाति/उप जाति के सदस्य हैं,  
जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति \*/ अनुसूचित जनजाति \* के रूप में  
मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... एवं/अथवा उनका/उनकी  
परिवार साधारणतः गांव/कस्बा ..... शहर ..... जिला .....  
राज्य ..... में निवास करते हैं ।

स्थान :-

तिथि :-

हस्ताक्षर:

सक्षम पदाधिकारी का

नाम .....

पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- \* बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
- \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए आरक्षण पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 पुत्र/पुत्री ..... ग्राम/शहर .....  
 थाना ..... जिला ..... झारखण्ड के रहने  
 वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001\*,\*\* की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .....  
 समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्गिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्गिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0(एस.सी. टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :-

नाम .....

पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4417 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008 4450 दिनांक 01.08.2011, 5826 दिनांक 19.09.2011, 1017 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 20.11.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

FORM-II

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO THE POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_  
son/daughter of \_\_\_\_\_ resident of Village/Town  
\_\_\_\_\_ P.S. \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_

of Jharkhand belongs to the \_\_\_\_\_ community which is recognised as an Extremely Backward Class (Annexure-I)/Backward Class (Annexure-II) of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001\*,\*\*.

This is to also certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column-3 of the Schedule to the OM No.-36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993 of Department of Personnel & Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Languages vide Resolution No.-3482, dated 10.06.2002.

Place :-

Signature of Competent Officer

Date :-

Name .....

Post .....

(Official Seal)

(Note-Strike which is not applicable)

Caste/Sub Caste enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001.

The castes included in the list of Extremely Backward Classes/Backward Classes under Section-2 of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001 vide Resolution No.-3885, dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6337 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2759 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2006, 5182 dated 26.09.2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5108 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, 697 dated 26.09.2011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.01.2012, 2855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.